O&M arrangements and functionality status of CSCs in the DISTRICT – FARRUKHABAD

- जनपद के 580 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 570 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जिन्हें स्वयं सहायता समूहों को हस्तगत करा कर संचालित कराया जा रहा है। शेष 10 ग्राम पंचायतों में से 09 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है और 01 ग्राम पंचायतं में भूमि विवाद के कारण सामुदायिक शौचालय का निर्माण नहीं हो सका है।

- सामुदायिक शौचालय के रख–रखाव एवं संचालन का कार्य स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। स्वयं सहायता समूह द्वारा शौचालय में सफाई व केयर टेकर के रूप में महिला कर्मी तैनात किये गये हैं। ग्राम पंचायतों में निकटस्थ स्थित स्वयं सहायता समूह से वार्ता कर उन्हें यह जिम्मेदारी ग्राम पंचायत द्वारा लिखित रूप से सौंपी जाती है और सफाई कर्मी को तैनात करने से लेकर सफाई आदि की व्यवस्था स्वयं सहायता समूह द्वारा की जाती है।

- एक सामुदायिक शौचालय के रख–रखाव के लिए निम्न व्यवस्था अनुमन्य है :–

क्रम सं0	रखरखाव एवं मरम्मत हेतु मद	कार्य विवरण	मासिक राशि
1	सफाई कर्मी / केयर टेकर	दिन में कम से कम दो बार सफाई	रूपये 6000 प्रतिमाह
2	मरम्मत	बिजली, प्लंबिंग, नल व टोटी, मरम्मत	रूपये 500 प्रतिमाह
3	साफ–सफाई की सामग्री	झाड़ू, ब्रश, वाईपर, स्पंज, सामग्री कपड़े पोछा, बाल्टी, मग आदि।	1200 रू0 (6 माह में एक बार)
4	निःसंक्रामक सामग्री	साबुन, वाशिंग पाउडर, एयरफ्रेशनर, ग्लब्स, हारपिक, मास्क, दस्ताने एप्रेन।	रुपये 1000 प्रतिमाह
5	यूटिलिटी चार्ज	पानी, बिजली, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	रूपये 1000 प्रतिमाह
6	अन्य		रूपये 300 प्रतिमाह
7	कुल व्यय प्रतिमाह		9,000 / –

- सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव हेतु धनराशि की व्यवस्था 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि जो स्वच्छता व सैनिटाइजेशन के लिये आरक्षित है, उससे की जाती है। इस कार्य पर होने वाला पूरे वर्ष का व्यय अधिकतम 02 किश्तों में पहला–प्रारम्भिक माह एवं दूसरी किश्त 06 माह के बाद बराबर किश्तों में स्वयं सहायता समूह को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।